न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 86/2020
3. उनवान : सरकार जरिये मोहन लाल देव प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह निवासी ग्राम सलादीपुरा तहसील सांभरलेक हाल प्लाट नं. 35, सीताराम नगर कच्ची बस्ती, त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा, जयपुर।
2. श्री रामराज बैरवा पुत्र श्री रामनारायण बैरवा निवासी ग्राम बनवाडा बासडा तहसील पीपलू जिला टोंक हाल प्लाट नं 14, श्याम बिहार रामपुरा रोड सांगानेर जिला जयपुर मालिक मारूति वैन।

4. निर्णय दिनांक : 24.08.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री जय सिंह अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मोहन लाल देव द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 04.01.2010 को प्लाट नं. 35, सीताराम नगर कच्ची बस्ती, त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा, जयपुर में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वाहन मालिक अप्रार्थी संख्या 2 की मारूति वैन नंबर RJ-14-CE-0244 में फिट गैस किट में इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रूप से वाहनों में गैस भरी जा रही थी। मौके पर 3 बीपीसी के घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 30.700 किग्रा, इलेक्ट्रिक मोटर, एक पीतल का रेग्यूलेटर, एक लोहे का रेग्यूलेटर, रबड पाईप मय इलेक्ट्रिक वायर व मारूति वैन नंबर RJ-14-CE-0244 को जब्त किया गया। अप्रार्थी ने गैस किट एवं सिलेण्डरों बाबत कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया, ना ही कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अधिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि उक्त जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। दिनांक 04.02.2010 को वकालतनामा पेश हुआ। मारूति वैन नंबर RJ-14-CE-0244 को दिनांक 04.02.2010 को रिलीज करने के आदेश जारी किये गये। दिनांक 29.01.2013 को अप्रार्थीगण का जवाब बंद किया जाकर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए फर्द जब्ती, मौका पर्चा आदि का हवाला देते हुए जब्त वस्तुओं को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 24.08.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, फर्द जब्ती, मौका पर्चा, बहस एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 04.01.2010 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वाहन मालिक अप्रार्थी संख्या 2 की मारूति वैन नंबर RJ-14-CE-0244 में फिट गैस किट में इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रूप से वाहनों में गैस भरी जाने की जांच कार्यवाही के दौरान 3 बीपीसी के घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 30.700 किग्रा, इलेक्ट्रिक मोटर, एक पीतल का रेग्यूलेटर, एक लोहे का रेग्यूलेटर, रबड पाईप मय इलेक्ट्रिक वायर व मारूति वैन नंबर RJ-14-CE-0244 को जब्त किया गया। अप्रार्थी द्वारा जब्त सामग्री व वाहन की वैधता के संबंध में मौंके पर कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया, इससे सिद्ध होता है कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अवैध रूप से गैस सिलेण्डर से गैस भरी जा रही थी, जो द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा जब्त 3 बीपीसी के घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 30.700 किग्रा, इलेक्ट्रिक मोटर, एक पीतल का रेग्यूलेटर, एक लोहे का रेग्यूलेटर, रबड पाईप मय इलेक्ट्रिक वायर व मारूति वैन नंबर RJ-14-CE-0244 को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर